



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07122020-223556

CG-DL-W-07122020-223556

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2020, शनिवार/अग्रहायण 8—अग्रहायण 14, 1942

No. 27] NEW DELHI, NOVEMBER 29—DECEMBER 5, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 8—AGRAHAYANA 14, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं

Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 113.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 80-सिकन्दरा राज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रेमपाल सिंह अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत श्री प्रेमपाल सिंह को दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./80 /भा.नि.आ./नोटिस/टैरी./उ.अनु-III-उ. प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
- (2) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गए हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री प्रेमपाल सिंह को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री प्रेमपाल सिंह को दिनांक 6 नवम्बर, 2018 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री प्रेमपाल सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री प्रेमपाल सिंह को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./80/भा.नि.आ./पत्र/टैरी./उ.अनु-III-उ.प्र./2017, दिनांक 2 जुलाई, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उनकी पत्नी गंगा को दिनांक 24 जुलाई, 2020 को श्री प्रेमपाल सिंह द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 18 सितम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रेमपाल सिंह द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रेमपाल सिंह विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री प्रेमपाल सिंह, निवासी ग्राम नगला बिजन, पोस्ट गिनौली किशनपुर, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/उ.प्र.-वि.स./80/2017]

आदेश से,

पुष्पा एन. लकड़ा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 1st December, 2020

O.N. 113 .—WHEREAS, the General Election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, **Sh. Prempal Singh**, a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/80/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Prempal Singh**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

- (i) Bill vouchers were not presented in respect of items of election expenditure.
- (ii) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Prempal Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to **Sh. Prempal Singh** on 6th November, 2018; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 18th December, 2019 that **Sh. Prempal Singh**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/80/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 2nd July, 2020, which was served to his wife Ganga on 24th July, 2020 through the District Election Officer, Hathras at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th September, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Prempal Singh** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Prempal Singh** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Prempal Singh**, resident of Village Nagla Bizan, Post Ginoli Kishanpur, Tehsil Sikandra Rao, District Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/UP-LA/80/2017]

By Order,

PUSHPA N. LAKRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 114 .—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राकेश पुत्र कुमरपाल अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत श्री राकेश पुत्र कुमरपाल को दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./80/भा.नि.आ./नोटिस/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री राकेश पुत्र कुमरपाल को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री राकेश पुत्र कुमरपाल को दिनांक 6 नवम्बर, 2018 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री राकेश पुत्र कुमरपाल द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री राकेश पुत्र कुमरपाल को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./80/भा.नि.आ./पत्र/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 2 जुलाई, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश देवी को दिनांक 24 जुलाई, 2020 को श्री राकेश पुत्र कुमरपाल द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 18 सितम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राकेश पुत्र कुमरपाल द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राकेश पुत्र कुमरपाल विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री राकेश पुत्र कुमरपाल, निवासी ग्राम जाऊ, पोस्ट रति का नगला, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/उ.प्र.-वि.स./80/2017]

आदेश से,

पुष्पा एन. लकड़ा, सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st December, 2020

O.N. 114.—WHEREAS, the General Election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, **Sh. Rakesh S/o Kumarpal**, a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/80/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Rakesh S/o Kumarpal**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

- (i) Bill vouchers were not presented in respect of items of election expenditure.
- (ii) Bank Statement was not submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Rakesh S/o Kumarpal** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to **Sh. Rakesh S/o Kumarpal** on 6th November, 2018; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 18th December, 2019 that **Sh. Rakesh S/o Kumarpal**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/80/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 2nd July, 2020, which was served to his wife Smt. Kamlesh Devi on 24th July, 2020 through the District Election Officer, Hathras at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th September, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Rakesh S/o Kumarpal** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Rakesh S/o Kumarpal** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Rakesh S/o Kumarpal**, resident of Village Jau, Post Rati Ka Nagla, Tehsil Sikandra Rao, District Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/UP-LA/80/2017]

By Order,

PUSHPA N. LAKRA, Secy.